

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 216/2010
संस्थित दिनांक 28.05.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

- **अभियोगी**

वि रू द्ध

उदयसिंग पिता देवीसिंग भीलाला
उम्र 34 वर्ष, निवासी काली बैडी,
थाना बड़वानी

- **अभियुक्त**

अभियोजन द्वारा एडीपीओ - श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अभिभाषक - श्री आर. के. श्रीवास

-: **नि र्ण य :-**

(आज दिनांक 21-02-2017 को घोषित)

01- पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 75/2010 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 09.05.10 को दिन के 01:30 बजे बड़वानी ठीकरी रोड भगवानपुरा सेगवाल फाटे के पास पुलिया, लोक मार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.10 पी. 1155 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने और उसी समय उक्त वाहन बस को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत हितेश, अश्विन, संतोष, कन्हैया, विनोद, धुल्या, ओमप्रकाश, संजू, सुनीता, गंगा, रमेश, सेना, भीलू, शंकर, संजय, बाउ, तुलसी, जगदीश, माया, संजना, अनिल, सुमेर एवं बाबू को उपहृतियां कारित करने तथा दीपक पित राजाराम की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, भादवि की धारा 279, 337, 304-ए का अभियोग है।

02- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03- अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.05.10 को ओमप्रकाश ने जैन बस क्र एम.पी. 10 1155 के चालक के विरुद्ध यह देहाती नालसी दर्ज कराई कि आज दोपहर वह उक्त बस में बैठकर दवाना से ठीकरी जा रहा था, बस में बहुत सी सवारियां थी, बस का ड्रायवर बस को तेजी से चला रहा था, भगवानपुरा सेगवाल फाटे के पास ड्रायवर द्वारा गाडी को पुलिया नीचे गिरा दिया जिससे गाडी में बैठी सवारियों को चोटें आई, उसे भी हाथ-पैर व सिर में चोटें आई, बाद में सभी घायलों को एम्बुलेंस व आयशर में बैठाकर ईलाज के लिये ठीकरी भेजा एवं फिर सभी 23 घायलों को ईलाज हुआ था तथा एक व्यक्ति दीपक पिता राजाराम, निवासी

खुरमपुरा की अस्पताल में ही मृत्यु हो गई उसके साथ उसकी पत्नी मनीषा भी थी, घायल व्यक्तियों में देवला का हितेश, कुआं का संतोष भी थे, जिन्हें वह पहचानता है। उक्त देहांती नालसी दर्ज कर उसके आधार पर थाने पर सहायक उपनिरीक्षक श्री आर.एस. शर्मा द्वारा अपराध दर्ज कर घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया, मृतक दीपक के शव का सफीना फार्म पंचनामा बनाया गया, शव का परीक्षण कराया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर, उक्त बस जप्त वाहन का परीक्षण कराया गया, सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— उपरोक्त अनुसार मेरे पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 279, 337, 304-ए के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया गया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(i)	क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.05.10 को दिन के 01:30 बजे बड़वानी ठीकरी रोड भगवानपुरा सेगवाल फाटे के पास पुलिया पर लोक मार्ग पर वाहन बस क्रमांक एम.पी.10 पी. 1155 को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
(ii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त बस को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत हितेश, अश्विन, संतोष, कन्हैया, विनोद, धुल्या, ओमप्रकाश, संजू, सुनीता, गंगा, रमेश, सेना, भीलू, शंकर, संजय, बाउ, तुलसी, जगदीश, माया, संजना, अनिल, सुमेर एवं बाबू को उपहतियां कारित कीं ?
(iii)	क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त बस को उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर दीपक की मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

— विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष —

06— उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होकर साक्ष्य के दोहराव को रोकने के लिए तथा सुविधा की दृष्टि से इनका निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी ओमप्रकाश (अ.सा.-1) का कथन है कि घटना लगभग एक साल पहले वह दवाना से धामनोद जैन बस में बैठकर जा रहा था बस धीमी गति से चल रही थी, बस के सामने रोड था एक सकरी पुलिया पर से नीचे गिर गई थी तथा पुलिया के पास रोड पर से

नीचे गड्डे में उतर गई थी, बस कौन चला रहा था उसने नहीं देखा था, बस की गति सामान्य थी, बस में बैठी सवारियों को चोटे आई, उन्हें ईलाज के लिये अस्पताल ले गये, बस कौन चला रहा था उसने नहीं देखा। साक्षी ने प्रदर्श पी 1 की देहांती नालसी पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्श पी 1 में गाडी का नं. एम.पी. 10—पी. 1155 बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने बस के ड्रायवर को बस को तेज गति तथा उतावलेपन से बस चलाने की बात बताई थी। साक्षी ने प्रदर्श पी 2 की रिपोर्ट में भी उक्त बात पुलिस को बताने से इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी 1 में क्या लिखा था वह नहीं बता सकता। उसने कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये थे। उसने बाद में सुना था कि बस का स्टेरिंग राड टुट गई थी।

08— मनीषा (अ.सा.2), राजाराम (अ.सा.3), बाबु (अ.सा.4), बाउ (अ.सा.5), माया जाधव (अ.सा.7), गंगाबाई (अ.सा.8), संजय (अ.सा.10) ने भी बस की दुर्घटना में उन्हें चोटें आने के संबंध में कथन किये हैं। मनीषा (अ.सा.2) का यह भी कथन है कि उसके पति की उक्त दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण में आरोपी को देखकर पहचान सकती है यह कथन किया है, किंतु बाद में आरोपी को उपस्थित कर उक्त साक्षी से आरोपी की पहचान कराये जाने पर साक्षी ने आरोपी को पहचानने से इंकार किया है। अभियोजन की ओर से दिये गये इस सुझाव को साक्षी ने इंकार किया है कि आरोपी ही घटना वाले दिन वाहन चला रहा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना वाले दिन बस तेजी एवं लापरवाही से नहीं चल रही थी और उसने पुलिस को प्रदर्श डी 1 के कथन में बस के ड्रायवर द्वारा तेज गति और लापरवाही से बस चलाने की गति नहीं बताई थी।

09— राजाराम (अ.सा.3) का यह भी कथन है कि मनीषा ने उसे बताया था कि बस का ड्रायवर बस के उपर लगी टेप में बार—बार केसट बदल रहा था, इस कारण से बस पलट गई। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मनीषा ने उसे बताया था कि बस का ड्रायवर बस को तेज गति से चला रहा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी बहू से कोई बातचीत नहीं हुई थी और उसने पुलिस को प्रदर्श पी 3 का कथन नहीं दिया था।

10— रमेशचन्द्र शर्मा (अ.सा.6) का कथन है कि दिनांक 09.05.10 को ओमप्रकाश पिता राधेश्याम, निवासी दवाना ने जैन बस क्र. एम.पी.10—पी. 1155 को उसके चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाही से बय चलाने से पुलिया के नीचे गिरा देने के संबंध में प्रदर्श पी 1 की देहांती नालसी दर्ज कराई थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने उक्त देहांती नालसी के आधार पर प्रदर्श पी 4 का अपराध दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मृतक

दीपक पिता राजाराम की लाश का पंचनामा बनाने हेतु सफीना फार्म प्रदर्श पी 5 एवं मृतक दीपक की लाश का नक्शा लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी 6 बनाया था जिसके ए से ए भगों पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पेश करने पर बस क्र. एम.पी.10-पी. 1155 दस्तावेज सहित जप्त किये थे। उसने ओमप्रकाश के बताये अनुसार नक्शा मौका प्रदर्श पी 9 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि ओमप्रकाश ने उसे प्रदर्श पी 1 की देहांती नालसी नहीं लिखाई थी अथवा उक्त रिपोर्ट में तेजी एवं लापरवाही से बस चलाने की बात नहीं लिखाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे किसी भी साक्षी ने बस के चालक का नाम और बस के चालक को तेज गति एवं लापरवाही से बस चलाने की बात नहीं लिखाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि बस की स्टेरिंग राड टुट गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने असत्य विवेचना की है अथवा वह असत्य कथन कर रहा है।

11- डॉ. डी.एस. चौहान (अ.सा.9) का कथन है कि दिनांक 09.05.10 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में वाहन दुर्घटना में घायल हितेश, अश्विन, संतोष, कन्हैया, विनोद, धुल्या, ओमप्रकाश, संजु, सुनिता, गंगा, रमेश, सेना, भील शंकर, संजय बाउ, तुलसी, जगदीश, माया, संजना, अनिल, सुमेरसिंह, बाबु को मेडिकल परीक्षण के लिये लाने पर उनके हाथ, पैरों में, सिर में साधारण प्रकृति की खरोच के निशान होने के संबंध में कथन किया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने बाबु, विनोद, माया, तुलसी, गंगाबाई, जगदीश एवं बाबु को बड़वानी चिकित्सालय रेफर किया था, जिसका पत्र प्रदर्श पी 13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घायलों की प्री.एम.एल.सी. प्रदर्श पी 12 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने मृतक दीपक के शव का परीक्षण कर उसकी मृत्यु सिर में आई चोट के कारण 12 घंटे के भीतर की आना बताया तथा साक्षी ने शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी 14 को प्रमाणित किया है।

12- आशीष (अ.सा.11) का कथन है कि उसके पास वर्ष 2010 में मिनी बस क्र. एम. पी. 10 पी 1155 थी, जिसे पुलिस ने जप्त कर लिया था। उसने उक्त बस सुपुर्दगी पर प्राप्त की थी, उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी उसकी उक्त बस में चालक के रूप में नियोजित था तथा बस दुर्घटना के समय उपस्थित आरोपी ही बस क्र. एम.पी.10 पी. 1155 को चला रहा था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके पास 4-5 गाड़िया हैं तथा उसकी गाड़ियों पर ड्रायवर, कन्डैक्टर देखने का काम उनके मुनीम करते हैं।

13- इस प्रकार किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी द्वारा घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त जैन बस क्र. एम.पी.10 पी. 1155 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक तरीके से चलाकर उनका जीवन संकटापन्न करने तथा उन्हें उपहति कारित करने तथा दीपक की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में मारित

करने जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती हो, के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। यहां तक कि अभियोजन के समस्त सुझव से इंकार किया है और ओमप्रकाश (अ.सा. 1) ने प्रदर्श पी 1 की देहांती नालसी लिखाने से भी इंकार किया है तो ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध उक्त अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसके विरुद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अभियोजन की उपरोक्त प्रस्तुत समस्त साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही घटना दिनांक, समय व स्थान पर बस क्र. एम.पी.10 पी. 1155 को लोक मार्ग पर तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया और उसी प्रकार उक्त बस को चलाकर बस के पलटी खाने से हितेश, अश्विन, संतोष, कन्हैया, विनोद, धुल्या, ओमप्रकाश, संजू, सुनीता, गंगा, रमेश, सेना, भीलू, शंकर, संजय, बाउ, तुलसी, जगदीश, माया, संजना, अनिल, सुमेर एवं बाबू को उपहतियां कारित करने, तथा उसी प्रकार उक्त बस को चलाकर बस के पलटी खाने से दीपक पिता राजाराम की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती हो।

14— अतः उपरोक्तानुसार अभियोजन अपनी ओर से प्रस्तुत समस्त साक्ष्य व उसके विवेचन से आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 279, 337, 304—ए का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त उदयसिंग पिता देवीसिंग भीलाला, उम्र 34 वर्ष, निवासी काली बैड़ी, थाना बड़वानी ` भादवि की धारा 279, 337, 304—ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से संदेह का लाभ प्रदान कर दोषमुक्त घोषित करता है।

15— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

16. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा—428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए।

17— प्रकरण में जप्तशुदा बस क्र. एम.पी.10 पी. 1155 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दनामा, बाद अपील अवधि, अपील न होने पर नियमानुसार उसी के पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.